

मैं तुझसे हर उस नाम के साथ प्रश्न करता हूँ जो तेरा है, जिसके द्वारा तूने अपना नाम रखा है, या तूने उसे अपनी किसी मखलूक को सिखाया है, या तूने अपनी किसी किताब में उतारा है, या तूने उसे अपने पास परोक्ष के ज्ञान में संरक्षित किया है, कि तू कुरआन को मेरे दिल की बहार, मेरे सीने की रोशनी, मेरे दुःख का निवारण और मेरी चिंता का मोचन बना दे।), तो अल्लाह उसके दुःख और शोक को दूर कर देगा, और उसके बदले में उसको आनंद प्रदान करेगा।” कहा गया : ऐ अल्लाह के रसूल !, क्या हम उन्हें सीख न लें? आपने कहा : “क्यों नहीं, जो कोई उन्हें सुने उसे उन्हें सीखना चाहिए।” अलबानी ने “सहीह अत-तर्गीब व अत-तर्हीब” (1822) में इसे सहीह कहा है।

2- मुस्लिम (हदीस संख्या : 2713) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमें आदेश देते थे कि जब हम सोने के लिए लेटें तो कहें : “*اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ*” (ऐ अल्लाह, ऐ आकाशों के रब, धरती के रब और महान अर्श के रब! ऐ हमारे रब और हर चीज़ के रब! दाने और गुठली को फाड़ने वाले! तौरात, इन्जील और फुरकान (कुरआन) के उतारने वाले! मैं हर उस चीज़ की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ जिसकी पेशानी तू पकड़े हुए है। ऐ अल्लाह! तू ही अब्वल (सबसे पहले) है, तुझसे पहले कोई चीज़ नहीं। और तू ही आखिर है, तेरे बाद कोई चीज़ नहीं। और तू ही ज़ाहिर है, तेरे ऊपर कोई चीज़ नहीं। और तू ही बातिन है, तुझसे वरे कोई चीज़ नहीं। हमारा कर्ज अदा कर दे और हमें निर्धनता से (निकाल कर) धनवान कर दे।)

3- अली रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उनके पास एक मुकातब (एक गुलाम जो अपने मालिक के साथ दासता से मुक्ति का अनुबंध कर चुका था) आया और उसने कहा : “मैं अपनी मुकातबत की राशि चुकाने में असमर्थ हूँ; इसलिए मेरी सहायता करें।” उन्होंने कहा : क्या मैं तुम्हें कुछ ऐसे शब्द न सिखाऊँ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे सिखाए? अगर तुम पर सीर के पहाड़ जैसा कर्ज होगा तो अल्लाह उसे तुम्हारी ओर से अदा कर देगा। उन्होंने कहा : “कहो : “*اللّٰهُمَّ كَفِّرْ بِيْ ذُنُوْبِيْ وَبِعَدْوِيْ وَبِعَدْوِيْ*” (ऐ अल्लाह मुझे हलाल प्रदान करके हराम से काफी हो जा और मुझे अपनी अनुकंपा प्रदान करके अपने सिवा अन्य से बेनियाज़ कर दे।) इसे तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 3563) ने रिवायत किया है और अलबानी ने सहीह अत-तिर्मिज़ी में हसन कहा है।

मुकातबत : दास का अपने स्वामी को धन देने की प्रतिज्ञा करना ताकि वह उसे मुक्त कर दे।

4- तबरानी ने “अल-मोज़म अस-सगीर” में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा :



अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा : “क्या मैं तुम्हें एक दुआ न सिखाऊँ जिसे तुम कहो, तो भले ही तुम्हारे ऊपर उहुद पर्वत जैसा कर्ज हो, अल्लाह उसे तुम्हारी ओर से अदा कर देगा, ऐ मुआज़ !
 कहो : *اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُدْرَأُ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي لَا تُدْفَعُ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُدْرَأُ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي لَا تُدْفَعُ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُدْرَأُ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي لَا تُدْفَعُ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُدْرَأُ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي لَا تُدْفَعُ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُدْرَأُ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي لَا تُدْفَعُ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُدْرَأُ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي لَا تُدْفَعُ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُدْرَأُ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي لَا تُدْفَعُ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُدْرَأُ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي لَا تُدْفَعُ* (ऐ अल्लाह, राज्य के स्वामी ! तू जिसे चाहे राज्य देता है और जिससे चाहे राज्य छीन लेता है, और जिसे चाहे इज्ज़त प्रदान करता है और जिसे चाहे अपमानित कर देता है। तेरे ही हाथ में हर भलाई है। निःसंदेह तू हर चीज़ पर सर्वशक्तिमान है। ऐ दुनिया और आखिरत में सबसे दयावान और उनमें असीम दयालु ! तू जिसे चाहे वे दोनों प्रदान करे और जिसे चाहे उन दोनों से वंचित कर दे। मुझ पर ऐसी दया कर जिसके द्वारा मुझे अपने अलावा की दया से बेनियाज़ कर दे।)।”

अलबानी ने “सहीह अ-तर्गीब वत-तर्हीब” (हदीस संख्या : 1821) में इसे हसन कहा है।

5- जीविका प्राप्त करने के महान और लाभकारी साधनों में से एक : अल्लाह तआला से बहुत अधिक क्षमा माँगना (इस्तिग़फ़ार) है।

सर्वशक्तिमान अल्लाह ने फरमाया :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً

نوح: 10 - 12

“तो मैंने कहा : अपने पालनहार से क्षमा माँगो। निःसंदेह वह बहुत क्षमा करने वाला है। वह तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। और वह तुम्हें धन और बच्चों में वृद्धि प्रदान करेगा तथा तुम्हारे लिए बाग़ बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा।” (सूरत नूह : 10-12)।

दूसरा :

जहाँ तक इन दुआओ में से किसी दुआ को दोहराने के लिए एक विशिष्ट संख्या निर्धारित करने की बात है, तो यह बिद्अतों और नवाचारों में से है।

“फतावा अल-लजनह अद-दाईमह” में कहा गया है : “अज़कार और इबादत के कार्यों के संबंध में मूल सिद्धांत : यह है कि वे तौक़ीफ़ी हैं [अर्थात् वे सही धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही सिद्ध हो सकते हैं], और अल्लाह की इबादत केवल उसी तरीके से



की जाएगी जो उसने निर्धारित किए हैं। इसी तरह उसका मुतलक (सामान्य) होना या उसका कोई समय निर्धारित करना, उसकी कैफ़ियत (तरीका) बयान करना, उसकी संख्या निर्धारित करना, उन अज़कार एवं दुआओं, तथा अन्य सभी इबादतों में जो किसी विशिष्ट समय, या संख्या, या स्थान या तरीके से प्रतिबंधित नहीं हैं : हमारे लिए उनमें किसी विशेष तरीके, या समय, या संख्या की पाबंदी करना जायज़ नहीं है। बल्कि हम इसके साथ अल्लाह की मुतलक इबादत करेंगे, जैसा कि वर्णित हुआ है। तथा जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन या कर्म के आधार पर साबित होता है कि वह किसी विशेष समय या संख्या के साथ प्रतिबंधित है, या उसके लिए समय या तरीका निर्धारित किया गया है : हम उसके साथ अल्लाह की इबादत उसी तरह करेंगे जो शरीयत से साबित है।

शैख अब्दुल-अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर-रज़्ज़ाक अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन कऊद

“मजल्लतुल-बुहूस अल-इस्लामिय्यह” (21/53) और “फतावा इस्लामिय्यह” (4/178) से उद्धरण समाप्त हुआ।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।